सं0-72/2284/62-2-2014-2/3(66)/2013

प्रेषक,

भरत लाल राय,
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनउ- दिनांक- 17 अक्टूबर,2014

विषय- श्री उपेन्द्र सिंह, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन, लघु सिंचाई विभाग, देवरिया के चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-3680/स्था0-6/चिकि0 प्रतिपूर्ति /2013, दिनांक 20-9-2013 एवं पत्र सं0-3187/स्था0-6/चिकि0 प्रतिपूर्ति/2014, दिनांक 14-8-2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली,2011 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत श्री उपेन्द्र सिंह, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन, लघु सिंचाई विभाग, देवरिया का प्रदेश के बाहर "राजीव गॉधी कैंसर इंस्टीच्यूट, नई दिल्ली" में दिनांक 12/2010 एवं 20-6-2012 से 03-8-2012 तक अन्त: रोगी के रूप में कराये गये उपयार की कार्योत्तर स्वीकृति एवं उपचार पर हुए व्यय के सापेक्ष अनुमन्य `-3,03,366.00 (रूपया तीन लाख तीन हजर तीन सौ छाछठ मात्र) की धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- इस संबंध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि संबंधित बिलों का भुगतान इससे पूर्व नही किया गया है। यदि कोई अग्रिम लिया गया हो तो उसके समायोजन के पश्चात ही शेष धनराशि का भुगतान किया जाय। व्यय से संबंधित समस्त बिल-बाउचर तथा अनिवार्यता प्रमाण-पत्र (मूल रूप में) संलग्न है।

3- उक्त धनराशि का भुगतान शासनादेश सं0-1929/62-2-2014-2/3(9)/2014, दिनांक 24-7-2014 द्वारा आयोजनेत्तर पक्ष में चिकित्सा व्यय मद में स्वीकृत धनराशि में से किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-13 के अधीन **" लेखा शीर्षक-2702-लघु सिंचाई-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-लघु सिंचाई योजना-49-चिकित्सा व्यय "** के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

ह0/

(भरत लाल राय)

विशेष सचिव।

सं0-72/2284(1)/62-2-2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0 प्र0 इलाहाबाद।

2- संबंधित कोषाधिकारी।

3- संबंधित अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड।

4- संबंधित कर्मचारी द्वारा मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0।

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन।

आज्ञा से,

ह0/

(एस0पी0 सिंह)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in